FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी क्रमॉक R1807-II/2006 सन्

01. अनिल तनय श्री राजाराम पाठक
02. अमित तनय श्री राजाराम पाठक
दोनों निवासीगण राजनगर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, (म0प्र0)

..... आवेदकगण

बनाम

01. पिरवा उर्फ प्यारे लाल तनय श्री लक्ष्मन ढ़ीमर
02. गौरीशंकर तनय श्री बसोरे ढ़ीमर
03. मुस0 मुन्नी बाई पुत्री बसोरे ढ़ीमर
04. नन्दो तनय श्री लक्ष्मना ढ़ीमर मृत –
समस्त निवासी राजनगर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, (म0प्र0)

..... उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अपर कमिश्नर सागर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमॉक 215–अ–27/2004–05 में पारित आदेश दिनॉक 11.09.2006 से परिवेदित होकर

महोदय,

निगरानीकर्तागण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं :–

01. यह कि उत्तरवादी क्रमॉक – 01 ने विद्वान अधीनस्थ अपर कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमॉक 155 निग0/अ–27/2002–03 में पारित आदेश दिनॉक 17.12.2004 अपर कलेक्टर छतरपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें अपर कलैक्टर द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के अपील प्रकरण क्रमॉक 28/अ–27/2000–01 में पारित आदेश दिनॉक 17.6.2003 को निरस्त किया था, विद्वान अपर कमिश्नर ने विघवान अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा तथा विद्वान तहसीलदार राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमॉक 2–अ–27/1987–88 में पारित आदेश दिनॉक 30.06.1990 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय संहिता की धारा 178 में वर्णित प्रावधानों का पालन कर मौके पर कब्जानुसार बॅटवारा की कार्यवाही करें तथा प्रकरण का निराकरण 90 दिवस के अंदर कर दिया जावें। उक्त् आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं ।

02. यह कि विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार राजनगर के समक्ष उत्तरवादी क्रमॉक – एक ने आवेदन पत्र अंतर्गत् धारा 178 भू राजस्व संहिता का वर्ष 1987–88 में प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आवेदक उत्तरवादी क्रमॉक –– एक एवं अनावेदक उत्तरवादी क्रमॉक – दो लगायत तीन व नन्दा के बीच संयुक्त खाते का विभाजन कर दिया जावें। विवादित भूमि

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1807/II/2006 जिला अमित व अन्य विरुद्ध फिरवा (फौत) व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/01/2019	(1)- आवेदक अभि. श्री सुन्दरम श्रीवास्तव एवं अनावेदक अभि. श्री कुंवर सिंह कुशवाह को दिनांक 9/1/19 को सुना गया। (2) - अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक निग. 215/अ-27/2004-05 में पारित आदेश दि. 11/09/2006 से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार राजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि संहिता की धारा 178 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन करते हुए एवं कब्जे के आधार पर बंटवारे की कार्यवाही नियमों के अनुक्रम में की जावे। (3) प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है, जिसमें गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है। अतः यह न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझती है। अतः निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है। 14.01.2019	

[कृ. प. उ.